हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/2/2020	~~पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] 11/3/2020 को पेश हो।~~	
11/3/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की मामले में बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दि. 17/3/2020 को पेश हो।	
17/3/2020	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अपीलांट की मामले में बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि विरुद्ध एवं रिकॉर्ड के खिलाफ होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के मौजूदा प्रकरण में एक प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 उम्मेदाराम वगैरह द्वारा दि. 8/8/18 को पेश किया। उपरोक्त प्रा. पत्र विचाराधीन रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का मौजूदा वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया जो कि पूर्णतया विधि-विरुद्ध तरीके से खारिज किया और साक्ष्य हेतु किसी भी प्रकार से अवसर वादी को प्रदत्त नहीं किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूदा प्रकरण प्रार्थना-पत्र के जवाब / बहस हेतु नियत था उसके पश्चात् आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र विड्रो किये जाने पर पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत की जानी थी परन्तु साक्ष्य हेतु नियत न कर साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज कर दिया गया जो कि पूर्णतया रेकर्ड व विधि के विरुद्ध खारिज किया गया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी 500/= रु० की कोस्ट पर दिनांक 9-7-2018 को अदा किये जाने का उल्लेख किया गया उसके पश्चात मौजूदा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रकरण की पत्रावली में स्थिति परिवर्तन हो गई और एक प्रार्थना-पत्र की बहस हेतु नियत कर दी गई ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र को विड्रो किये जाने पर मौजूदा प्रकरण को साक्ष्य में नियत नहीं की गई जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से निरस्त अपास्त योग्य है।	

P.T.O

सहायक अधीन प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की [illegible] में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र भी तैयार करवा लिया गया और इनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वर्तमान समय में प्रार्थना-पत्र की बहस हेतु नियत है और P.O साहब भी विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं ऐसी स्थिति में जब आपकी आवश्यकता होगी तब अपीलार्थीगण को बुला लिया जावेगा परन्तु अपीलार्थीगण को अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सूचना उन्हें प्रदत्त नहीं की गई और अपीलार्थी पूर्णतया इस विश्वास में रहे कि अधिवक्ता द्वारा उनको साक्ष्य हेतु सूचित कर दिया जायेगा और इसके उपरांत अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कोई सूचना नहीं दी, अधिवक्ता की गलती से पक्षकार को कतई दण्डित नहीं किया जा सकता।	
	अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान दि० 9-4-2019 को हुआ कि मौजूदा वाद दि. 4-9-2018 को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया जिसकी प्रतिलिपि दि 11-4-2019 को प्राप्त किये जाने पर पूर्णतया रूप से हुई कि वाद खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में मौजूदा अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है फिर भी धारा 5 म्याद अधि० का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया गया है। अधी० न्यायालय के अपीलाधीन आदेश आनन-फानन में रिकॉर्ड व विधि का अवलोकन किये बिना ही पारित किया है जो अपास्त होकर एवं अपीलार्थीगण को मौजूदा प्रकरण में गुणावगुण में निर्णय पारित करने हेतु साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाना हर तरीके से विधि सम्मत है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश/निर्णय डिक्री दि. 4-9-2018 को अपास्त फरमाते हुए आदेश, तहत अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण का आदेश फरमावें।	
	राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए अपील के तथ्यों को नकारा तथा अपील का विरोध करते हुए बताया कि दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुति बाबत पर्याप्त अवसर दिये गए इसके बावजूद भी वे साक्ष्य पेश करने में असफल रहे। यहाँ तक कि उन्हें 500/= रु० की कोस्ट पर भी अवसर दिया गया जिसका लाभ भी उन्होंने उठाना नहीं चाहा। अपीलार्थीगण की यह चूक क्षम्य नहीं है। साक्ष्य प्रस्तुति स्वयं वादी पक्ष का दायित्व है और इसमें चूक के लिए अधिवक्ता कतई जिम्मेदार नहीं है। साक्षी की उपस्थिति अधिवक्ता का दायित्व नहीं है। साक्ष्य चूक या लोप के लिए अपीलार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है लिहाजा अपील अस्वीकार की [illegible]	

P.T.O

[signature] राजस्व अपील अधिकारी [illegible]

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य होने से अपील अस्वीकार की जावे। अपील मियाद के बिंदु पर भी विधि अनुसार ग्रहण योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि इनके अधिवक्ता द्वारा मुकर्रर दिनांक पर साक्ष्य शपथ-पत्र तैयार करवा लिये थे इसका तात्पर्य है कि आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 10 को डिक्री की जानकारी के दिन साक्षी शपथ-पत्र देने हेतु उपस्थित थे और उसी रोज दावा अदम साक्ष्य में खारिज हुआ, उनको उन्हें जानकारी थी लिहाजा मियाद अवधि के गुजर जाने के बाद भी लगभग चार माह का विलम्ब हुआ है। अपील म्याद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य है। अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा 24/3/15 को दायर हुआ। जवाब दावा पेश होने के बाद प्रतिवादी जवाब अवसर देने के बावजूद पेश नहीं होने पर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्षी वादी दि. 21-12-2017 को मुकर्रर की गई। तब से पत्रावली साक्षी वादी में रही जो लगभग 1 वर्ष 4 माह की अवधि है। 8-8-2018 को पत्रावली 500/- रु. कोस्ट पर साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर में होते हुए भी वादी साक्षी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए इनको प्रदत्त अंतिम अवसर का लाभ वे उठा नहीं सके और उन्होंने इसके प्रति गंभीर उपेक्षा बरती। आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 10 के Not Press में खारिजी वाले दिवस भी अधीनस्थ न्यायालय में साक्षी वादी नहीं हुई क्योंकि "उस रोज भी वादी की ओर से कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं है न ही वादी ने साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया है"। इसलिए अपीलार्थी के कथनों पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है जो पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्। वादी/अपीलार्थीगण अपनी ओर से बरती गई उपेक्षा और दायित्व से विमुख होने के कृत्य के आधार पर अपील में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं ठहरते। पत्रावली और अपील मीमो के कथनों से भी ज्ञात होता है कि अपील मियाद बाधित है लिहाजा स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर